न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0 ए0 एस0)

प्रार्थना पत्र संख्या :–21/2014 (कन्टेम्प्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2014/00055

उनवान

1. सुरेश पुत्र विधाराम मिश्रा जाति ब्राहम्ण निवासी मौहल्ला पचौरी पाडा पुराना शहर धौलपुर।
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री नत्थी सिंह जाति गुर्जर निवासी न्यू आगरा बस स्टैण्ड डिपो के पीछे धौलपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. भगवान देवी वेवा रामभरोसी
2. सीयाराम पुत्र रामभरोसी जाति लोधा निवासीगण ग्राम ऐदलपुर तह0 व जिला धौलपुर।
3. राजेश

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 2(ए) सिविल प्रक्रिया संहिता।

अभिभाषकगण :–

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री जगदीश प्रसाद शर्मा उपस्थित।
2. अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री विनोद भार्गव उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 17.05.2018

1. यह प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2012 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 73/2012 में दिनांक 01.03.2012 को पारित स्थगन आदेश की अवहेलना के विरूद्ध पेश किया गया है। सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर में प्रार्थीगण/वादी ने एक दावा बाबत् बॅटवारा काश्त व हुक्म इम्तनाई दवामी विरूद्ध अप्रार्थीगण/प्रतिवादी पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 17.02.2012 को अन्तिम डिक्री कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण/प्रतिवादी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 73/2012 प्रस्तुत की गई एवं उक्त अपील में अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 01.03.2012 से अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.02.2012 की पालना स्थगित रखी जाकर विवादित भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखने के आदेश पारित किये गये। किन्तु अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट ने उक्त स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुये विवादित आराजी खसरा नम्बर 273 के भाग 273/2 जो प्रार्थीगण/रैस्पो0 के हिस्से में आया है पर दो दुकाने जो 20x10 फुट में निर्माण शुरू कर दिया। प्रार्थीगण/रैस्पो0 ने स्थगन आदेश का हवाला देते हुए, निर्माण कार्य बन्द करने की कहा तो, वह साफ इंकारी हो गये एवं निर्माण कार्य जारी रखते हुए पटाव तक ले आये। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर; न्यायालय हाजा के आदेश की अवमानना करने के लिये दण्डित करने का अनुतोष चाहा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि स्थगन आदेश के बाबजूद अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 273 के भाग 273/2 जो कुर्रे प्रस्तावो के अनुसार प्रार्थीगण के हिस्से में आये हैं; में पुख्ता दुकान निर्माण कर न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना व अवमानना की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा इस कृत्य को जानबूझकर किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए, न्यायालय श्रीमान् के आदेश की अवहेलना व अवमानना के कृत्य के लिए अप्रार्थीगण की चल–अचल सम्पत्ति को कुर्क करते हुए दीवानी जेल भिजवाये जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय दिनांक 17.02.2012 की क्रमशः दो अपीले, अपील संख्या 73/2012 सुरेश बनाम भगवान देई एवं अपील संख्या 32/2012 भगवान देई बनाम सुरेश प्रस्तुत हुई थी। उक्त हुक्म अदूली प्रार्थना पत्र अपील संख्या 32/2012 भगवान देई बनाम सुरेश में पारित स्थगन आदेश का ना होकर, अपील संख्या 73/2012 सुरेश बनाम भगवान देई में पारित स्थगन आदेश से सम्बन्धित है। प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित अपील 73/2012 सुरेश बनाम भगवान देई खारिज हो चुकी है। अतः जब अपील ही समाप्त हो चुकी है तो हुक्म अदूली का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण काबिल खारिजी है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि उक्त हुक्म अदूली प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा आदिनांक तक कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे न्यायालय श्रीमान के आदेशों की अवहेलना व अवमानना सिद्ध हो सकें। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 2(ए) सिविल प्रक्रिया संहिता; अपील संख्या 73/2012 सुरेश बनाम भगवानदेई में पारित स्थगन आदेश की अवहेलना व अवमानना के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। वक्त बहस प्रार्थीगण के अभिभाषक ने उक्त अपील संख्या 73/2012 सुरेश बनाम भगवानदेई को विड्रा किया जाना कथन किया है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रार्थना पत्र आदेशिका दिनांक 16.03.2016 से वास्ते पेश करने साक्ष्य में लम्बित है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे न्यायालय हाजा द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवहेलना व अवमानना सिद्ध होती हो। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र हुक्म अदूली के साथ मात्र एक नजरी नक्शा, जिसमें लाल स्याही से निर्माणाधीन दुकानो को इंगित किया गया है प्रस्तुत किया है। किन्तु उक्त नजरी नक्शा किसके द्वारा तैयार किया गया है ? स्पष्ट नहीं है एवं ना ही नजरी नक्शा तैयार करने वाले के हस्ताक्षर ही उपलब्ध हैं। अतः कथित नजरी नक्शा को साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) आधारहीन होने के कारण खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र हुक्म अदूली खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official